



## म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर - 302016

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

### M.S. Regional Ayurveda Research Institute for Endocrine Disorders

Indira Colony, Banipark, Jhotwara Road, Jaipur - 302016

(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)

फा.सं. 2-1/2015/एसीआरआई/जेपीआर/स्था./रिक्रूटमेन्ट/सविदा/

दिनांक 11.11.2020

### विज्ञापन संख्या 01/2020

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर (राजस्थान) द्वारा संस्थान में कार्यालय सहायक के एक पद लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा उनके स्वायत्तषाशी संस्थान/राज्य सरकार अथवा उनके स्वायत्तषाशी संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को पूर्णतः अस्थाई तौर एवं संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 23.11.2020 को वॉक-इन-इन्टरव्यू किया जाना है। जिसके लिए संबंधित दिनांक को अम्यर्थी को रजिस्ट्रेशन हेतु प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना है। विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	पद का नाम	पद संख्या	योग्यता एवं अनुभव	चयन का आधार	साक्षात्कार दिनांक	नियत (fix) वेतन (प्रतिमाह)
1.	कार्यालय सहायक	01	<b>आवश्यक:-</b> <ul style="list-style-type: none"><li>सेवानिवृत्ति के समय पे-मैट्रिक लेवल 6 या अधिक अथवा ग्रेड-पे रु. 4200/- या अधिक के साथ कार्यालय सहायक या उच्च पद से सेवानिवृत्त हो।</li><li>कम्प्यूटर पर MS-Word, MS-Excel आदि का ज्ञान।</li><li>भारत सरकार/राज्य सरकार के स्वायत्तषाशी संस्थान/कार्यालय में लेखा/वित्त तथा प्रशासनिक सम्बन्धी कार्य करने की दक्षता हो।</li></ul> <b>आयु:-</b> 65 वर्ष से कम।	साक्षात्कार	23.11.2020	रु. 30,000/-

#### नियम एवं शर्त:-

- उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना वॉक-इन-इन्टरव्यू की दिनांक के अनुसार की जायेगी।
- अम्यर्थी अपने सेवानिवृत्त होने का प्रमाण जैसे कि पीपीओ इत्यादि एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि तथा एक सेट छायाप्रति एवं हाल ही में खिचाई पासपोर्ट साइज की 02 फोटोग्राफ लेकर आवे।
- यह नियुक्ति प्रारम्भ में छः माह या अग्रिम आदेश जो भी पहले हो तक के लिये है, जो कि अवधि के दौरान किये गये कार्य एवं आवश्यकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है।
- अम्यर्थी का संस्थान में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का कोई दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।
- अम्यर्थी को किसी प्रकार का पेंशन उपदान एवं सामान्य भविष्य निधि आदि परिलाम देय नहीं होंगे।
- अम्यर्थी किसी भी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त) के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- अम्यर्थी केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के कर्मचारी के रूप में व्यवहृत (Treat) नहीं होंगे।
- आवेदक को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा।
- विज्ञापन में दिये गये पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
- संस्थान प्रभारी द्वारा आवेदक को चयन करने एवं रिजेक्ट करने का पूर्ण अधिकार है।

(डॉ. बी.आर. मीणा)  
प्रभारी सहायक निदेशक